

CP

एफ २४

318

न्यायालय सम्मानीय राजस्व मंडल ग्वालियर म०प्र० बेंच

R- 286-II / 2012

देवीसिंह पिता बाबू सिंह उर्फ महाराज सिंह डावर

निवासी - करापुर तहसील व जिला सागर

--- पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

श्री अकोला मंदिर समिति करापुर

द्वारा-(1) जवाहर सिंह पिता मोहन सिंह

(2) माधव सिंह पिता मोहन सिंह

दोनों निवासी ग्राम करापुर तहसील व जिला सागर

-- रस्मान्त

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र० 500 राजस्व संश्लि

पुनरीक्षणकर्ता पुनरीक्षण प्रस्तुत कर प्रार्थना करता है :-

पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय , सागर के राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक - 02/बी- 121/2011-012 में पारित आदेश दिनांक 14-12-2011 से परिवेदित होकर सम्मानीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है ।

(1):- यह कि सम्मानीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि प्रावधानों के प्रतिभूल होने से निरस्त किया जाना न्यायवहित में है ।

2/2/12

B.O.R.

[Signature]

2 FEB 2012

श्री ...
 19/03/2012
 सागर
 द्वारा प्रस्तुत.
 श्री ...
 कार्यालय कमिश्नर, सागर सम्मान, सागर (म.प्र.)

क्रमांक
 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
 दिनांक को प्राप्त
 14/2/12
 कलेक्टर
 राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

- 2 -
न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-286-दो/2012

जिला-सागर

देवीसिंह विरुद्ध श्री अकोला मंदिर द्वारा जवाहर सिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
18-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से श्री कुवंर सिंह कुशवाह अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला-सागर के प्रकरण क्रमांक 02/बी-121/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 14-12-2011 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 मू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग, सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 13-05-2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर0के0 जैन) सदस्य 18/03/19</p>